



(☎ 022-22862703)

ई-मेल / e-mail-irw@dae.gov.in



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग IR&W SECTION



अणुशक्ति भवन

Anushakti Bhavan,

छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg,

मुंबई / Mumbai - 400 001.

No. 7/28/2024/IR&W / 6854

मई May 10, 2024

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

विषय : शिकायत निवारण हेतु उप समिति का गठन

Subject : Constitution of Sub-committee for Grievance Redressal

सीएचएसएस से संबंधित मामलों के लिए शीर्ष शासी निकाय ने 25/04/2024 को आयोजित अपनी पहली बैठक में डीएई को सूचित करते हुए यूनिट स्तर पर एक शिकायत निवारण समिति गठित करने की सिफारिश की है। बी.ए.आर.सी., मुंबई की शिकायत निवारण समिति "सर्वोच्च शिकायत निवारण समिति" के रूप में कार्य करेगी।

The Apex Governing Body for CHSS related matters in its 1st meeting held on 25/04/2024 has recommended to constitute a Grievance Redressal Committee at Unit level under intimation to DAE. The Grievance Redressal Committee of BARC, Mumbai will function as Apex Grievance Redressal Committee.

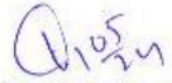
2. यह भी बताया गया है कि, बी.ए.आर.सी. शिकायत निवारण समिति संबंधित सीएचएसएस प्रशासन प्राधिकारियों के संयोजक में से सदस्यों को (मुद्दों के आधार पर) चुन सकती है। इकाई स्तर पर गठित शिकायत निवारण समिति, विभाग में शिकायतें उठाए जाने पर अपनी सिफारिशें अंतिम विचार के लिए बी.ए.आर.सी., की "सर्वोच्च शिकायत निवारण समिति" को प्रस्तुत करेगी।

It is also stated that, the BARC Grievance Redressal Committee can co-opt members from the conveners of respective CHSS Administering Authorities (on issue based basis). The recommendations of the Grievance Redressal Committee formed at unit level will submit its recommendations to Apex Grievance Redressal Committee of BARC for final consideration as and when grievances are raised with the Department.

3. यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्रत्येक इकाई स्तर पर और बी.ए.आर.सी. में गठित ऐसी शिकायत निवारण समितियों के गठन के लिए जारी आदेशों की प्रति प्रकाशित करके सभी सीएचएसएस लाभार्थियों को प्रस्तुत की जाए।

It is further requested to kindly arrange to furnish the copy of orders issued for constitution of such Grievance Redressal Committees formed at each unit level and also at BARC by publishing the same to all the CHSS beneficiaries.

4. इसे विभाग में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority in the Department.


(अशोक बी गेरिरा Ashok B. Gerira)

[उप सचिव (प्रशासन/आईआर एवं डब्ल्यू) Deputy Secretary (Admin/IR&W)]

सभी सीएचएसएस शासी प्राधिकारी
All CHSS Administering Authorities

प्रतिलिपि Copy to :

- अवर सचिव, अध्यक्ष कार्यालय, डीआई, मुंबई / Under Secretary, Chairman's Office, DAE, Mumbai
- अपर सचिव का कार्यालय, डीआई, मुंबई / Office of Additional Secretary, DAE, Mumbai